भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 454
बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बार-बार आने वाले भूकंपों पर अध्ययन

454. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश को प्रभावित करने वाले बार-बार भूकंपों को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में भेद्यता और जोखिम को कम करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा किए जाने वाले/किए जा रहे प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) एवं (ख) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) 166 स्टेशनों वाले राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से देशभर में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी एवं रिपोर्ट करता है। भूकंप की विस्तृत जानकारी NCS की वेबसाइट (seismo.gov.in) पर उपलब्ध है। देश में बार-बार आने वाले भूकंपों के विज्ञान को समझने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, जैसे कि स्थानीय स्थल प्रभावों को समझने के लिए चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में संचालित किए जाने वाले विस्तृत भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन, भूकंप की घटनाओं का प्रवृत्ति विश्लेषण आदि। अभी तक दिल्ली, कोलकाता, गंगटोक, गुवाहाटी, बेंगुलरू, भुबनेश्वर, चेन्नई, कोयंबतूर तथा मैंगलोर में माइक्रोजोनेशन का काम पूरा कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, NCS-MoES द्वारा भूकंप के पुराने आंकड़ों का विश्लेषण तथा निरंतर डेटा संग्रहण किया जाता रहता है, ताकि भूकंपीय पैटर्नों एवं स्रोत प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक भूकंपीयता के आधार पर, भारत मानक ब्यूरो (BIS) ने भारत का भूकंपीय जोनिंग मैप तैयार किया है, जिसमें क्षेत्रों को उनके भूकंप जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह शहरी नियोजन तथा विनिर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पहलू है।

(ग) एवं (घ) भूकंप से जुड़े जोखिमों का शमन करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं - भूकंप निगरानी नेटवर्क का विस्तार ताकि भूकंप का सही समय पर पता लगाया जा सके तथा अलर्ट का यथासमय प्रचार किया जा सके, भूकंप-प्रतिरोधी डिजाइन एवं विनिर्माण हेतु BIS द्वारा बिल्डिंग कोड निर्दिष्ट करना विशेष रूप से उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में, भूकंप तैयारी के बारे में आम लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने समेत गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM) द्वारा ड्रिल एवं जागरुकता अभियान, तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना ।

*****